



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012-आषाढ़ 15, शके 1934

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, जमुना दास पुत्र श्री बहादुर, निवासी-एफ. एच. 744, दीनदयाल नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर प्रारम्भ से अपना नाम जमुना दास लिखता था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भी अंकित है. वर्तमान में मैंने अपना नाम पंकज कुमार पुत्र श्री बहादुर लिखना आरम्भ कर दिया है. अतः भविष्य में भी मुझे मेरे नाम जमुना दास के स्थान पर पंकज कुमार के नाम से ही जाना जावे एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( जमुना दास )

नया नाम :

( पंकज कुमार )

पुत्र श्री बहादुर,  
निवासी-एफ. एच. 744,  
दीनदयाल नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर.

(65-बी.)

#### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती भावना बच्चानी पत्नि श्री राजेन्द्र बच्चानी का विवाह पूर्व नाम नंदा खत्री पुत्री श्री रामचंद्र खत्री था. विवाह उपरान्त मैंने अपना नाम नंदा खत्री के स्थान पर भावना बच्चानी रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम भावना बच्चानी के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

( नंदा खत्री )

नया नाम :

( भावना बच्चानी )

पत्नि श्री राजेन्द्र बच्चानी,  
निवासी-सी. 22, बसंत बिहार कॉलोनी,  
ग्वालियर (म. प्र.).

(66-बी.)

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 18 जून, 2012

सहायक यंत्री सिविल/विद्युत यांत्रिकी/प्रबंधक ( यांत्रिकी ) लिखित परीक्षा-2011

परीक्षा दिनांक 25 मार्च, 2012 परीक्षा परिणाम

वि. क्र. 198/07/2012/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-02/परीक्षा/2011/16 मई, 2011 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 20 जून, 2011, परीक्षा स्थगन सूचना दिनांक 12 अगस्त, 2011, परीक्षा आयोजन की सूचना दिनांक 28 नवम्बर, 2011, शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/02/परीक्षा/2011, दिनांक 16 जनवरी, 2012, (परीक्षा तिथि परिवर्तन तथा सहायक यंत्री (सिविल) के पदों हेतु नवीन आवेदनों के आमंत्रण की सूचना) मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अन्तर्गत सहायक यंत्री (सिविल) के 120 पद, सहायक यंत्री (विद्युत यांत्रिकी) के 15 पद तथा प्रबंधक (यांत्रिकी) के 04 पद, कुल 139 पद हेतु सहायक यंत्री सिविल/विद्युत यांत्रिकी/प्रबंधक (यांत्रिकी) लिखित परीक्षा-2011, परीक्षा दिनांक 25 मार्च, 2012 (रविवार) को एक सत्र में प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक परीक्षा केन्द्र-इन्दौर पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति 197/07/2012/अनु.-10, दिनांक 18 जून, 2012 द्वारा घोषित किया गया है. यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) पर देखा जा सकता है. इस परीक्षा में M. P. ONLINE से कुल 3838 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं आयोग द्वारा सभी आवेदकों को लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी किये गये थे. इस परीक्षा में सहायक यंत्री (सिविल) पद हेतु 371 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये. सहायक यंत्री (विद्युत यांत्रिकी) पद हेतु 47 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये व प्रबंधक (यांत्रिकी) पद हेतु 12 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये.

2. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जायेंगे.

3. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदक अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) से डाउनलोड करके अनुप्रमाणन फॉर्म 03 प्रतियों में, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म 05 प्रतियों में एवं मूल आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि के साथ विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जो आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी के समर्थन में आवश्यक हैं, संलग्न कर दिनांक 16 जुलाई, 2012 तक आयोग कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण एवं आवेदन-पत्र अंतिम तिथि 16 जुलाई, 2012 तक आयोग में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त कर दी जायेगी.

4. विज्ञापन के अनुसार विकलांगता के प्रकार में केवल अस्थिबाधित/श्रवणबाधित विकलांग (चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो) हेतु पद आरक्षित हैं. अन्य किसी भी स्वरूप के विकलांग होने पर विकलांगता का लाभदेय नहीं होगा.

5. साक्षात्कार के लिए प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के उनकी अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां आयोग में प्राप्त होने पर इनकी सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही अर्ह आवेदकों को पद अनुसार साक्षात्कार पत्र जारी किया जायेगा. साक्षात्कार दिनांक 21 अगस्त, 2012 से आयोजित होंगे.

6. इस परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों के संशोधित प्रारदर्श उत्तरकुंजी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 16 मई, 2012 को अपलोड कर दी गई है. अतः आयोग द्वारा उत्तरकुंजी अलग से प्रदाय नहीं की जायेगी. साक्षात्कार के बाद चयन परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं कटऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर डाले जा सकेंगे.

7. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

8. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

9. अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है. स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा तथा आयोग कार्यालय में सूचना पटल पर लगी सूची को ही प्रमाणिक माना जावेगा.

(290)

एम. के. अग्रवाल,  
सचिव.

इन्दौर, दिनांक 18 जून, 2012

सहायक यंत्री सिविल/विद्युत यांत्रिकी/प्रबंधक ( यांत्रिकी ) लिखित परीक्षा-2011

परीक्षा दिनांक 25 मार्च, 2012 परीक्षा परिणाम

वि. क्र. 197/07/2012/अनु.-10.—आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-02/परीक्षा/2011/16 मई, 2011 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 20 जून, 2011, परीक्षा स्थगन सूचना दिनांक 12 अगस्त, 2011 परीक्षा आयोजन की सूचना दिनांक 28 नवम्बर, 2011, शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/02/परीक्षा/2011, दिनांक 16 जनवरी, 2012 (परीक्षा तिथि परिवर्तन तथा सहायक यंत्री (सिविल) के पदों हेतु नवीन आवेदनों के आमंत्रण की सूचना) मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अन्तर्गत सहायक यंत्री (सिविल) के 120 पद, सहायक यंत्री (विद्युत यांत्रिकी) के 15 पद तथा प्रबंधक (यांत्रिकी) के 04 पद, कुल 139 पद हेतु सहायक यंत्री सिविल/विद्युत यांत्रिकी/प्रबंधक (यांत्रिकी) लिखित परीक्षा-2011, परीक्षा दिनांक 25 मार्च, 2012 (रविवार) को एक सत्र में प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक परीक्षा केन्द्र-इन्दौर पर आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में M. P. ONLINE से कुल 3838 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं आयोग द्वारा सभी आवेदकों को लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी किये गये थे. इस परीक्षा में सहायक यंत्री (सिविल) पद हेतु 371 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये. सहायक यंत्री (विद्युत यांत्रिकी) पद हेतु 47 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये व प्रबंधक (यांत्रिकी) पद हेतु 12 आवेदक प्रावधिक अर्ह पाये गये.

सहायक यंत्री (सिविल) पदों के लिए—अनारक्षित-185, अनुसूचित जाति-59, अनुसूचित जनजाति-70, अ.पि.वर्ग-47, अना. विकलांग (अस्थिबाधित/श्रवणबाधित)-09, अ.पि.वर्ग श्रवणबाधित विकलांग-01, भू.पू. सैनिक-निरंक-है.

सहायक यंत्री (विद्युत यांत्रिकी) पदों के लिए—अनारक्षित-25, अनुसूचित जाति-06, अनुसूचित जनजाति-09, अ.पि.वर्ग-07, विकलांग-निरंक- भूतपूर्व सैनिक-निरंक है.

प्रबंधक (यांत्रिकी) पदों के लिए—अनारक्षित-06, अनुसूचित जाति-03, अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-निरंक, विकलांग-निरंक- भूतपूर्व सैनिक-निरंक है. लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों की सूची निम्नानुसार है: —

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों की सूची निम्नानुसार है: —

(1) सहायक यंत्री (सिविल).—

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
1.	1012	ABHA BAGHEL	
2.	1019	ABHAY SRIVASTAVA	
3.	1025	ABHIJEET OSTAWAL	
4.	1037	ABHINAV SHRIVASTAVA	
5.	1039	ABHINAVA SINGH	
6.	1041	ABHISHEK BATHAM	
7.	1064	ABHISHEK KUMAR RAJPUT	
8.	1070	ABHISHEK PANDEY	
9.	1073	ABHISHEK RAJPUT	
10.	1074	ABHISHEK SHARMA	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
11.	1085	ADITI DESHMUKH DESHMUKH	
12.	1093	ADITYA KUMAR TRIPATHI	
13.	1101	ADITYA SINGH RAJPUT	
14.	1121	AJAY KUMAR VERMA	
15.	1128	AJAY SAHU	
16.	1142	AJITESH PANDEY	
17.	1153	AKHILESH KAWDE	
18.	1157	AKHILESH PANDRE	
19.	1170	ALOK CHANDRA YADAV	
20.	1171	ALOK CHAUBEY	
21.	1177	ALOK KUMAR	
22.	1182	ALOK RAROTIYA	
23.	1191	AMARDEEP TRIPATHI	
24.	1204	AMIT WASKEL	
25.	1207	AMIT BANSAL	
26.	1211	AMIT GUPTA	
27.	1214	AMIT JAISWAL	
28.	1221	AMIT KUMAR OJHA	
29.	1251	AMRITA SINGHAI SINGHAI	
30.	1252	ANAMIKA ASANA	
31.	1282	ANIL KUMAR KUSHWAHA	PH
32.	1289	ANIRUDDHA ANAND	
33.	1294	ANITA MOR	
34.	1295	ANJALI DONGARWAR	
35.	1313	ANKIT SARAF	
36.	1317	ANKIT SINGH CHANDEL	
37.	1332	ANKUR SHARMA	
38.	1345	ANOOP SINGH MEENA	
39.	1347	ANSHU RAJENDRA SHUKLA SHUKLA	
40.	1348	ANSHU TIWARI	
41.	1349	ANSHUL DADARYA	
42.	1351	ANSHUL SONI	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
43.	1361	ANTIM CHOUHAN	
44.	1400	APEKSHA KANOJIA	
45.	1414	ARJUN NARVARIA	
46.	1415	ARJUN SINGH CHOUHAN	
47.	1425	ARTI CHOUBEY	
48.	1427	ARTI SINGH THAKUR	
49.	1428	ARTI SURYAVANSHI	
50.	1432	ARUN GOUD	PH
51.	1434	ARUN KUMAR SHARMA	
52.	1435	ARUN KUMAR MANDLOI	
53.	1446	ARVIND KUMAR YADAV	
54.	1453	ARVIND SINGH DHAKAR	
55.	1472	ASHISH MASIH	
56.	1475	ASHISH MOHAN SHIVHARE	
57.	1493	ASHOK KUMAR PANIKA	
58.	1509	ASHUTOSH SINGH	
59.	1552	AVINASH CHATURVEDI	
60.	1558	AVINASH RAJAK	
61.	1566	AWANISH KUMAR	
62.	1575	BALKESHWAR MISHRA	
63.	1589	BHAGWAN RAY	
64.	1603	BHAVIKA LANJEWAR	
65.	1607	BHOOPENDRA SINGH	
66.	1623	BIHARI LAL UDDEY	
67.	1640	BRAJESH KUMAR VISHWAKARMA	PH
68.	1648	CHAITANYA CHAUHAN	
69.	1655	CHANDAN LOCHAN	
70.	1659	CHANDRA BHAN SINGH	
71.	1677	CHETNA CHOURASIYA	
72.	1689	DARIYAV PARMAR	PH
73.	1698	DEEP SHIKHA DWIVEDI	
74.	1723	DEEPAK KUMAR GUPTA	
75.	1727	DEEPAK KUMAR RAUT	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
76.	1741	DEEPENDRA SINGH KUSHWAH	
77.	1745	DEEPKIRAN NAIDU	
78.	1748	DEEPTI VERMA	
79.	1753	DEVENARAYAN JATWA	
80.	1762	DEVENDRA KUMAR DAWAR	
81.	1763	DEVENDRA KUMAR GAUTAM	PH
82.	1770	DEVENDRA SINGH JALKHEDIA	
83.	1782	DHANVANTRI TRIPATHI	
84.	1806	DILEEP SINGH	
85.	1809	DILIP KORI	
86.	1810	DILIP KUMAR CHOUDHARY	
87.	1812	DILIP ROKDE	
88.	1817	DILIP SINGH CHOUHAN	
89.	1846	DIVYA SINGHAL	
90.	1854	DULICHAND SURAGE	
91.	1863	EKTA SHARMA	
92.	1882	GAJENDRA SINGH RATHORE	
93.	1896	GAURAV JAISWAL	
94.	1899	GAURAV KASHYAP	
95.	1907	GAURAV SINGHAI	
96.	1926	GOUTAM VARMA	
97.	1934	GULAM ABBAS HUSAIN	
98.	1941	HARAM SINGH BAMNIYA	PH
99.	1956	HARSH SRIVASTAVA	
100.	1960	HARSHA SINHA	
101.	1967	HEMA SINGH	
102.	1968	HEMA MEENA	
103.	1970	HEMANT BAGANA	
104.	1979	HEMLATA AHIRWAR	
105.	1981	HENRICH HIMANSHU ANTHONY ANTHONY	
106.	1984	HIMANSHU SHRIVASTAVA	
107.	1985	HIMANSHU BHABOR	
108.	1994	HITENDRA PAL SINGH	
109.	2016	JAI KRISHNA TRIPATHI	
110.	2023	JAINENDAR SWRUP	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
111.	2053	JITENDRA AHIRWAR	
112.	2058	JITENDRA KUMAR	
113.	2072	JITENDRA YADAV	
114.	2075	JOGENDRA SINGH GADRIYA	
115.	2080	JUWAN SINGH BHAWAR	
116.	2081	JYOTI COMFORT	
117.	2088	KAILASH CHOUHAN	
118.	2105	KAMINI DEVI RAJPUT	
119.	2107	KAMLAKAR SINGH	
120.	2126	KANHAIYA LAL SINGH	
121.	2131	KAPIL MEENA	
122.	2140	KARISHMA YADAV	
123.	2151	KAVITA DANGI	
124.	2156	KEHKASHA KHAN	
125.	2166	KHUSHBOO SINHA	
126.	2167	KHUSHWANT SINGH CHAUHAN	
127.	2168	KHUSHWANT SINGH MARKAM	
128.	2173	KIRTI PRAKASH CHAUHAN	
129.	2175	KISHORE KUMAR NARAYANE	
130.	2176	KOMAL SINGH	
131.	2178	KRAPANSHU LOMARE	
132.	2181	KRIPA SHANKAR TRIPATHI	
133.	2190	KRISHNA PAL SINGH RAWAT	
134.	2191	KRISHNA PIPDA	
135.	2192	KRISHNA PRATAP SINGH	
136.	2198	KULDEEP KAMLESHIYA	
137.	2223	KUWAR SINGH DAWAR	
138.	2234	LATA VERMA	
139.	2236	LAXMI NAGESHWER	
140.	2246	LOKESH SOLANKI	
141.	2248	LOVE PRADEEP GAUR	
142.	2254	MADHURI YADAV	
143.	2262	MAHENDRA MAGRADE	
144.	2280	MAHESH KUMAR SINGH	
145.	2284	MAHESH SOLANKI	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
146.	2292	MANEESHA MISHRA	
147.	2300	MANISH AMERIYA	
148.	2314	MANISH KUMAR GOIT	
149.	2325	MANISH PATKAR	
150.	2328	MANISHA MALVIYA	
151.	2330	MANJARI AHIRWAR	
152.	2348	MANOJ KUMAR CHOUHAN	
153.	2364	MANORAMA KUMARI	
154.	2366	MANTU KUMAR	
155.	2371	MATHIYAS MATHIYAS	
156.	2380	MAYANK MISHRA MISHRA	
157.	2381	MAYANK PARMAR	
158.	2384	MAYANK SINGH	
159.	2397	MEGHA AHIRWAR	
160.	2403	MEHTAB SINGH AHIRWAR	
161.	2405	MINAKSHI CHATURVEDI	
162.	2406	MINI ARYA	
163.	2416	MITTUSINGH BENAL	
164.	2430	MOHAN SINGH MEDA	
165.	2440	MOHIT JAIN	
166.	2451	MOHNISH SATRAWALA	
167.	2452	MONIKA GAUTAM	
168.	2481	MUKESH KUMAR MEENA	
169.	2483	MUKESH MANDLOI	
170.	2484	MUKESH RAI	
171.	2496	NAGARSINGH DAWAR	
172.	2504	NAMRATA MOOLCHANDANI	
173.	2512	NARENDRA MISHRA	PH
174.	2535	NAROTTAM THAKUR	
175.	2536	NARSINGH KATARA	
176.	2539	NASIR TOWHEED	
177.	2552	NAVEEN KUMAR SHAKYA	
178.	2565	NEERAJ GOLHANI	
179.	2583	NEHA BARVE	
180.	2590	NEHA SONI	



S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
181.	2609	NIKITA UKEY	
182.	2610	NILESH KUMAR YADAV	
183.	2619	NIRAJ SINGH PARIHAR	
184.	2620	NIRANJAN SINGH YADAV	
185.	2623	NIRMAL PATIDAR PATIDAR	
186.	2624	NIRAMAL SHRIVASTAVA SHRIVASTAVA	
187.	2635	NISHESH GOSWAMI	
188.	2642	NITESH DURKHURE	
189.	2646	NITESH SINGH THAKUR	
190.	2649	NITIN RAMTEKE	
191.	2663	NITIN PEEBRA	
192.	2664	NITIN PULLIGIRI	
193.	2673	NRIPENDRA SINGH	
194.	2674	NRIPENDRA PRATAP DEV	
195.	2690	PANKAJ CHOUKSEY	
196.	2703	PANKAJ MALVIYA	
197.	2704	PANKAJ MANI TIWARI	
198.	2717	PARAS PARMAR	
199.	2724	PARVAT SINGH MALGAM	
200.	2741	PAWAN MARKAM	
201.	2766	POONA LAL KARPEY	
202.	2768	POONAM CHAND VASUNIA	
203.	2771	POURASH BAMNIYA	
204.	2777	PRABHAT KUMAR SONI	
205.	2778	PRABHAT RANJAN	
206.	2779	PRABIN KUMAR ASHISH	
207.	2784	PRACHI REJA	
208.	2792	PRADEEP KUMAR CHAURASIA	
209.	2794	PRADEEP KUMAR PANDEY	
210.	2798	PRADEEP MUZALDA	
211.	2804	PRADEEP SINGH BAGHEL	
212.	2820	PRALESH BAMHANIYA	
213.	2822	PRAMOD PATEL	
214.	2823	PRAMOD BHONDEKAR	
215.	2842	PRASHANT KUMAR SINGH	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
216.	2856	PRATEEK KHARE	
217.	2862	PRATIBHA THAKUR	
218.	2866	PRATIK RAO ATULKAR	PH
219.	2877	PRAVEEN KUMAR BHANNARWAR	
220.	2878	PRAVEEN KUMAR BHUMARKAR	
221.	2880	PRAVEEN KUMAR MALVIYA	
222.	2894	PREETI KUMARI	
223.	2899	PREM NARAYAN DHANWAL	
224.	2900	PREM SHANKAR PRASAD	
225.	2904	PRINCE KUMAR	
226.	2905	PRITI SOLANKI	
227.	2906	PRIYA SHUKLA	
228.	2908	PRIYA PANDEY	
229.	2911	PRIYAM SHANKAR	PH
230.	2913	PRIYAM VADA	
231.	2916	PRIYANKA AGRAWAL	
232.	2920	PRIYANKA MEHRA	
233.	2921	PRIYANKA MOHE	
234.	2923	PRIYANKA SHRIVASTAVA	
235.	2924	PRIYANKA YADAV	
236.	2933	PUNEET KUMAR SWARNAKAR	
237.	2969	RAHUL BUNDIWAL	
238.	2990	RAHUL SHARMA	
239.	3000	RAHUL YADAV	
240.	3001	RAHUL YADAV	
241.	3014	RAJAN BHARTI	
242.	3051	RAJESH KUMAR ARYA	
243.	3087	RAJNI YADAV	
244.	3101	RAKESH BIRLA	
245.	3107	RAKESH KHARADI	
246.	3109	RAKESH KUMAR	
247.	3110	RAKESH KUMAR CAIN	
248.	3115	RAKESH KUMAR VERMA	
249.	3118	RAKESH MORE	
250.	3142	RAMESH AJNAR	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
251.	3144	RAMESH BHURIYA	
252.	3146	RAMESH VATWANI	
253.	3157	RANGOLI KATAREY	
254.	3160	RANJANA SHUKLA	
255.	3164	RANJIT SINGH LODHI	
256.	3167	RASHMI PAL	
257.	3168	RASHMI SINGH	
258.	3172	RATAN KUMAR	
259.	3174	RATAN SINGH BHABOR	
260.	3175	RATAN SINGH MEENA	
261.	3195	RAVI PARMAR	
262.	3205	RAVI SISODIYA	
263.	3206	RAVIDEEP BAIN	
264.	3216	RAVINDRA RAI	
265.	3221	RAVINDRA SINGH DODWA	
266.	3234	RICHA DUBEY DUBEY	
267.	3235	RICHA KHATRIKER	
268.	3236	RICHA UPADHYAYA	
269.	3241	RISHABH KAKODIYA	
270.	3247	RISHIKESH KUMAR	
271.	3260	RITU TOMAR	
272.	3264	RIZWAN KHAN	
273.	3265	ROBIN DANDOTIA	
274.	3298	ROSHAN KUMAR SINGH	
275.	3310	RUPESH RATHORE	
276.	3327	SAHAJ SHRIVASTAVA	
277.	3351	SANDEEP SHARMA	
278.	3367	SANDEEP KUMAR DUBEY	
279.	3371	SANDHYA PATEL	
280.	3373	SANGEETA DIWAKAR	
281.	3379	SANJAY PATEL	
282.	3387	SANJAY KAITHWAS	
283.	3392	SANJAY KUMAR AHIRWAR	
284.	3432	SANKALP VERMA	
285.	3433	SANTKUMAR SIRSAM	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
286.	3438	SANTOSH CHOUHAN	
287.	3445	SANTOSH KUMAR SAHU	
288.	3447	SANTOSH NAMDEO	
289.	3456	SAPNA MANDLOI	
290.	3457	SAPNA MANKAR	
291.	3459	SARAH KHAN	
292.	3471	SARITA MISHRA MISHRA	PH
293.	3480	SATISH BARETIYA	
294.	3501	SAURABH SHRIVASTAVA	
295.	3512	SAURABH MISHRA	
296.	3523	SAWAN KUMAR SONI	
297.	3552	SHAILESH VERMA	
298.	3557	SHALINEE SINGH	
299.	3560	SHAMBHAVI MISHRA	
300.	3566	SHARAD CHAURASIA	
301.	3583	SHASHANK SHARMA	
302.	3590	SHASHI BHOOSHAN SINGH THAKUR	
303.	3594	SHASHI PRAKASH JHA	
304.	3599	SHASHIKANT UIKEY	
305.	3611	SHIPRA SINGH	
306.	3615	SHISHIR SHRIVASTAVA	
307.	3621	SHIV KANT SINGH	
308.	3628	SHIVAM KUMAR AGRAWAL	
309.	3629	SHIVANAND PATEL	
310.	3631	SHIVANI SAHU	
311.	3636	SHIVESH MIHANI	
312.	3644	SHRADDHA BANSODKAR	
313.	3646	SHRADDHA VERMA	
314.	3660	SHRISH CHATURVEDI	
315.	3662	SHRUTI MANGAL	
316.	3670	SHWETA ASATI	
317.	3671	SHWETA KUSHWAHA	
318.	3698	SOMYA DIXIT	
319.	3701	SONAL NIGAM	
320.	3705	SONAL SINGH	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
321.	3708	SONALI SHRIVASTAVA	
322.	3709	SONAM BAJPAYEE	
323.	3720	SUBHASH CHAREL	
324.	3728	SUCHA DUVEY	
325.	3730	SUDESH UIKEY	
326.	3733	SUDHARSHAN JHILLE	
327.	3748	SUKHRAM MEDA	
328.	3753	SUMER SINGH AMLAWAR	
329.	3770	SUMIT TIWARI	
330.	3774	SUNIL AWASHYA	
331.	3785	SUNIL KUMAR KODAPE	
332.	3787	SUNIL KUMAR MAURYA	
333.	3811	SUNNY ARMO	
334.	3824	SURENDRA SINGH KUSHWAH	
335.	3833	SURUCHI SNEHA	
336.	3834	SURYAKANT SIRWAIYA	
337.	3847	SUSHMA KULHARE	
338.	3849	SUVARNA PATHAK	
339.	3860	SWAPNIL PANDEY	
340.	3892	THAKUR SINHG BAGHEL	
341.	3895	TOLSINGH MACHHAR	
342.	3906	UDAY PRAKASH VISHWAKARMA	
343.	3908	UJJWAL RAJPUT	
344.	3917	UMESH KUMAR	
345.	3942	VAISHALI GUPTA	
346.	3951	VARTIKA SINGH	
347.	3959	VEENA RANI AJEETE	
348.	3967	VIDHU RANI KAURAV	
349.	3976	VIJAY KUMAR PATEL PATEL	
350.	3980	VIJAY KUMAR UIKEY	
351.	3982	VIJAY SHANKAR	
352.	3983	VIJAY SHRI SHARMA	
353.	3986	VIJAY SINGH GOND	
354.	3992	VIJENDRA SINGH CHOUHAN	
355.	3994	VIJENDRA SINGH DODVE	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
356.	4002	VIKAS KIRAR	
357.	4038	VIMAL SRIVASTAVA	
358.	4047	VINAY PATEL	
359.	4052	VINESH KUMAR UIKEY	
360.	4056	VINOD PATIDAR	
361.	4076	VIQUAR AHMED SIDDIQUI	
362.	4079	VIRENDRA KUMAR SHAKYA	
363.	4083	VISHAL SHRMA	
364.	4104	VIVEK BHAVARE	
365.	4113	VIVEK KUMAR YADAV	
366.	4114	VIVEK KUSHWAH	
367.	4119	VIVEK RAMTEKE	
368.	4126	VIVEK TUMRAM	
369.	4152	YOGENDRA ARYA	
370.	4162	YOGESH BIRLA	
371.	4168	YOGITA PATIL	

## ( 2 ) सहायक यंत्री ( विद्युत यांत्रिकी ).—

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
1.	4200	ALOK KUMAR VAIDHYA	
2.	4208	AMIT KUMAR VISHWAKARMA	
3.	4248	BASANT MERA VI	
4.	4249	BEERBAHADUR KASHYAP	
5.	4296	HEMANT PARMAR	
6.	4299	JAYANT MANGURLE	
7.	4350	NARESH KUMAR JATAV	
8.	4353	NĒEHARIKA SARASWAT	
9.	4398	PUSHPENDRA TIWARI	
10.	4407	RAJARAM BARMAN	
11.	4421	RAMRAJ PATEL	
12.	4431	RUPALI MISHRA	
13.	4448	SANJAY GUPTA	
14.	4490	SONIYA RAWAT	
15.	4497	SUKHDEV SINGH THAKUR	

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
16.	4503	SUNIL RAWAT	
17.	4507	SURJEET SINGH	
18.	4561	ADITYA SINGH	
19.	4588	ASHESH MALVIYA	
20.	4599	ASHOK KUMAR SEVARIA	
21.	4617	BHASKAR PRAKASH SAXENA	
22.	4628	DEEPMALA TRIPATHI	
23.	4633	EEPSA TIWARI	
24.	4652	JAGDISH MEHRA	
25.	4654	JAY KUMAR AHIRWAR	
26.	4661	KAMLESH KUMAR PATEL	
27.	4674	MADAN SINGH AYYAR	
28.	4683	MANOJ MISHRA	
29.	4688	MUKESH KUMAR NAG	
30.	4694	NARESH KUMAR KALAKAR	
31.	4696	NEELAM RAWAT	
32.	4706	PANKAJ MARKAM	
33.	4715	PRANEESH DUBEY	
34.	4718	PRATAP NARAYAN PATHAK	
35.	4725	RAHUL MISHRA	
36.	4733	RAJENDRA MUJALDE	
37.	4744	RASHI SENGAR	
38.	4745	RAVENDRA KUMAR VISHWAKARMA	
39.	4757	ROHIT MANE	
40.	4758	ROHIT KUMAR CHHALOTRE	
41.	4770	SANDIP BHAYRE	
42.	4774	SARIKA KHARGONKAR	
43.	4777	SAUJANYA KAMPOOWALE	
44.	4789	SHIVAM SINGH	
45.	4794	SHUBHAM KUMAR	
46.	4804	SUNIL KUMAR MARSKOLE	
47.	4835	YOGEHS DUBEY	

## ( 3 ) प्रबंधक ( यांत्रिकी ).—

S. NO.	ROLL	NAME	REMARKS
1.	1191	AMARDEEP TRIPATHI	
2.	1289	ANIRUDDHA ANAND	
3.	1648	CHAITANYA CHAUHAN	
4.	1854	DULICHAND SURAGE	
5.	2348	MANOJ KUMAR CHOUHAN	
6.	2405	MINAKSHI CHATURVEDI	
7.	3118	RAKESH MORE	
8.	3698	SOMYA DIXIT	
9.	3720	SUBHASH CHAREL	
10.	3728	SUCHA DUBEY	
11.	3994	VIJENDRA SINGH DODVE	
12.	4114	VIVEK KUSHWAH	

- टीपः—** 1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे.
2. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदक अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाईट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) से डाउनलोड करके अनुप्रमाणन फॉर्म 03 प्रतियों में, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म 05 प्रतियों में एवं मूल आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि के साथ विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जो आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी के समर्थन में आवश्यक है, संलग्न कर दिनांक 16 जुलाई, 2012 तक आयोग कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण एवं आवेदन-पत्र अंतिम तिथि 16 जुलाई, 2012 तक आयोग में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त कर दी जायेगी.
3. विज्ञापन के अनुसार विकलांगता के प्रकार में केवल अस्थिबाधित/श्रवणबाधित विकलांग (चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो). हेतु पद आरक्षित है. अन्य किसी भी स्वरूप के विकलांग होने पर विकलांगता का लाभदेय नहीं होगा.
4. साक्षात्कार के लिए प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के उनकी अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां आयोग में प्राप्त होने पर इनकी सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही अर्ह आवेदकों को पद अनुसार साक्षात्कार पत्र जारी किया जायेगा. साक्षात्कार दिनांक 21 अगस्त, 2012 से आयोजित होंगे.
5. इस परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों के संशोधित प्रादर्श उत्तरकुंजी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 16 मई, 2012 को अपलोड कर दी गई है. अतः आयोग द्वारा उत्तरकुंजी अलग से प्रदाय नहीं की जायेगी. साक्षात्कार के बाद चयन परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही लिखित परीक्षा के प्राप्तंक एवं कटऑफ अंक आयोग की वेबसाईट पर डाले जा सकेंगे.
6. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.



7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
8. अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है. स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा तथा आयोग कार्यालय में सूचना पटल पर लगी सूची को ही प्रमाणिक माना जावेगा.

(290-A)

श्रीकृष्ण शर्मा,  
परीक्षा नियंत्रक.

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

#### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“ए. बी. माहेश्वरी एज्युकेशनल ट्रस्ट” कार्यालय “आदर्श” 37/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री रामपाल सोनी पिता बद्रीलाल सोनी, निवासी सकर भवन, 21/4, रतलाम कोठी, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

- पब्लिक ट्रस्ट का नाम : “ए. बी. माहेश्वरी एज्युकेशनल ट्रस्ट”.
- पता : “आदर्श” 37/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर.
- अचल सम्पत्ति : निरंक.
- चल सम्पत्ति : रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 4 अगस्त, 2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(291)

शरद श्रोत्रिय,  
रजिस्ट्रार.

( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“श्रीराम धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट” कार्यालय 12, परस्पर नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री ज्ञानचन्द्र जैन, निवासी 202, नाकोड़ा टॉवर, हुकुमचंद मार्ग, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“श्रीराम धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट”.
पता :	12, परस्पर नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति :	निरंक.
चल सम्पत्ति :	रुपये 1,23,077/- (दिनांक 31 मार्च, 2012 के अंतिम शेष अनुसार).

आज दिनांक 13 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(291-A)

### (फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

“लायंस क्लब इन्दौर युनिक चेरिटेबल ट्रस्ट” कार्यालय 3-ए, अग्रवाल नगर, स्नेह नगर, मेन रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री लायन सुभाष जैन निवासी-8 बी, रतलाम कोठी, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“लायंस क्लब इन्दौर युनिक चेरिटेबल ट्रस्ट”.
पता :	3-ए, अग्रवाल नगर, स्नेह नगर, मेन रोड, इन्दौर, म. प्र.
अचल सम्पत्ति :	निरंक.
चल सम्पत्ति :	रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 18 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(291-B)

वंदना पराशर,  
रजिस्ट्रार.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी / रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, कटनी, जिला कटनी**

प्र. क्र./03/बी-113 (1)/2011-2012.

**प्रारूप-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 1962 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि स. सि. श्री केशव कुमार पिता स्व. स. सि. धन्यकुमार जैन अध्यक्ष श्री दिगम्बर जैन, महावीर उदासीन आश्रम, निवासी चार बंगला लाईन, हा. बोर्ड कॉलोनी, कटनी द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहते हैं तो वह इस नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के पश्चात्/उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल / अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	..	श्री महावीर दिगम्बर जैन उदासीन आश्रम, मार्फत के. के. इंजीनियरिंग सुभाष चौक, कटनी.
ट्रस्ट का पता	..	के. के. इंजीनियरिंग सुभाष चौक, कटनी.
चल सम्पत्ति	..	1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा एफ. डी. आर. दो-दो लाख की तीन एफ. डी. आर.
अचल सम्पत्ति	..	कुछ नहीं.

आज दिनांक 4 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(292)

तेजस्वी एस. नायक,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा**

विदिशा, दिनांक 15 जून, 2012

प्र. क्र. 05/बी-113/2011-12.

**प्रारूप-4**

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री विनोद कटारे, अध्यक्ष द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2012 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता . . . श्री द्वारका सेवा न्यास, शिवाजी चौक, विदिशा.
2. चल सम्पत्ति:—

क्र.	विवरण	कीमत
1.	अलमारी	5000/-
2.	चेयरस	3500/-
3.	फर्स	1500/-
4.	कूलर	5200/-
5.	पंखा	1200/-
6.	टेबिल	1500/-
7.	सोफा सेट	5000/-
8.	बैंक खाता (A/c 14481) केन्द्रीय सहकारी बैंक	5000/-
योग . .		27,900/-

3. अचल सम्पत्ति-- वर्तमान में नगर में कोई अचल सम्पत्ति ट्रस्ट की नहीं है.

(293)

अविनाश तिवारी,  
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन

मण्डलेश्वर, दिनांक 10 मई, 2012

रा. प्रकरण क्र. 02/बी-113/2010-11.

### फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर आवेदक श्री अशोक कुमार पिता गेंदालाल सोनी, मुख्य संस्थापक न्यासी ग्राम गुलावड, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश का पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है.

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी आपत्ति/सुझाव मान्य नहीं किया जावेगा.

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- |                 |    |  |
|-----------------|----|--|
| 1. न्यास का नाम | .. | सलुब्रिअल इण्डिया बेनेवलेन्ट ग्राम गुलावड, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, म. प्र.                              |
| 2. न्यास का पता | .. | श्री अशोक कुमार पिता गेंदालाल सोनी, मुख्य संस्थापक न्यासी ग्राम गुलावड, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, म. प्र. |
| 3. चल सम्पत्ति  | .. | 5,000/- एवं कार्यालय हेतु दो कुर्सी, एक टेबल.  |
| 4. अचल सम्पत्ति | .. | निरंक.   |

यह सूचना आज दिनांक 10 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(294)

कैलाश बुन्देला,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल**

**प्रारूप-4**

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "श्रीनाथ जी मानव सेवा न्यास" 14-17 प्लेटिनम प्लाजा माता मंदिर, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 7 जुलाई, 2012 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

**अनुसूची**

- |                  |    |                              |
|------------------|----|------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | .. | "श्रीनाथ जी मानव सेवा न्यास" |
| 2. अचल सम्पत्ति  | .. | निरंक                        |
| 3. चल सम्पत्ति   | .. | 7,000/-                      |

(295)

उमाशंकर भार्गव,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक, लोक न्यास, कसरावद**

**प्रारूप-4**

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) के देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन जिले के समक्ष.

चूँकि "मदरसा सिद्धिका ट्रस्ट सिपटान, तहसील कसरावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश" ने मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता है तो उसके बारे में की गई आपत्तियां या सुझाव देने का विचार रखता हो तो इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि "मदरसा सिद्धिका ट्रस्ट सिपटान, तहसील कसरावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश," कसरावद पारमार्थिक सेवा संस्थान ट्रस्ट एक लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक, लोक न्यास, जिला खरगोन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में नियत दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह (एक माह) के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा।

आर. एस. बालोदिया,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(275)

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

अन्त्या. वीर बजरंग यातायात सह. संस्था मर्या., टोंककला, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 711, दिनांक 15 नवम्बर, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.238, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था। समयवधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 7 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेषित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें।

(277-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

श्री महाकाली साख सहकारी संस्था मर्या., उदयनगर, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1056, दिनांक 02 अप्रैल, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 239, दिनांक.....को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था। समयवधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 5 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेषित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार गोसाई, उप-अंकेक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री विनोद कुमार गोसाई, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(277-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

श्री अम्बे रेत खदान खनिज सह. सं. म. देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 857, दिनांक 1 सितम्बर, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 237, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 7 मई, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(277-D)

के. एन. त्रिपाठी,  
उप-आयुक्त (सहकारिता).

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

आवास संघ कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्चा., भोपाल जिसका पंजीयन क्र. 813, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 1587, दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर अनुसार दिनांक 27 मई, 2012 को संस्था की विशेष आमसभा आयोजित की गई, आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था के अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया गया. निर्णय की प्रति संलग्न की है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने की मांग की है. सदस्यों द्वारा आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त है, का उपयोग करते हुए आवास संघ कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्चा., भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. भारवानी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. डी. भारवानी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(278)

ओ. पी. गुप्ता,  
सहायक पंजीयक.

## “कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

स्वामी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

संस्था अध्यक्ष, श्री हरीश कुमार एवं 10 अन्य सदस्यों द्वारा दिनांक 29 मई, 2012 को आवेदन प्रस्तुत कर संस्था पंजीयन के पश्चात अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है, भविष्य में उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकती, संस्था के पास भूमि नहीं है, वर्तमान में संस्था अकार्यशील है और ना ही भविष्य में कोई कार्य करने की योजना है, का उल्लेख करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत संस्था को परिसमापन में लाने एवं धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है.

उपरोक्त कारणों से प्रथम दृष्टया संस्था को परिसमापन में लाने हेतु पर्याप्त आधार है.

अतः मैं. के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संस्था की विशेष साधारण सभा में समस्त सदस्यों के विचाराधीन रखा जावे तथा विशेष साधारण सभा द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 15 जून, 2012 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा की संस्था के समस्त सदस्यों को उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 1 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(278-A)

के. के. द्विवेदी,  
उप-पंजीयक.

## कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापक का आदेश क्र. व दिनांक
1.	धर्म निरपेक्ष महिला प्राथ. उपभोक्ता भण्डार	691/01-8-1994	4047/28-10-2011
2.	मुक्ता महिला प्राथ. उपभोक्ता भण्डार	670/20-7-1994	4021/19-10-2011

उक्त सहकारी संस्थाओं का कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 28 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(278-B)

जी. के. शर्मा,  
परिसमापक.



## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापक का आदेश क्र. व दिनांक
1.	मनप्रीत महिला प्राथ. उप. भण्डार, भोपाल	675/26-07-1994	4048/28-10-2011
2.	शिवांशी प्राथ. उप. भण्डार सह., भोपाल	ARB/813/7-4-1976	4059/29-10-2011
3.	नवा महिला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., भोपाल	706/05-08-1994	4046/28-10-2011

उक्त सहकारी संस्थाओं का कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

पुरूषोत्तम शर्मा,  
सहकारी निरीक्षक.

(279)

## [मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापक का आदेश क्र. व दिनांक
1.	कृषि विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.	390/06-09-1968	क्र./परिसमापक/12/163, दिनांक 9-1-12.
2.	संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.	250/07-09-1981	-,,-
3.	नवरंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	260/11-9-1981	-,,-

उक्त सहकारी संस्थाओं का कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

राजीव जैन,  
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(280)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापक का आदेश क्र. व दिनांक
1.	निरुपम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.	954/24-10-2003	3210/11-8-2011
2.	खेल खिलाड़ी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.	DRB/937/23-5-2003	3221/11-8-2011
3.	भीष्म कृष्ण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	DRB/968/20-1-2004	3222/11-8-2011
4.	राजाराम चन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल	DRB/976/20-4-2004	3223/11-8-2011

उक्त सहकारी संस्थाओं का कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिए लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे.

अतः आज दिनांक 16 मार्च, 2011 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(281)

एस. पात्रीकर,  
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

### कार्यालय सहायक आयुक्त ( प्रशासन ), सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 28 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/250.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./281, बड़वानी दिनांक 29 अप्रैल, 2010 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रणगांव डेब, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 1803, दिनांक 1 अप्रैल, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. महाजन, सुपरवाईजर, बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, जी. एल. बड़ोले, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कारपोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 28 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(282)

बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/266.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./72, बड़वानी दिनांक 17 जनवरी, 2011 के द्वारा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, सेमली, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 1131/1, दिनांक 28 जून, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक, बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एल. बड़ोले, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कारपोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(282-A)

बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/267.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/72, बड़वानी दिनांक 17 जनवरी, 2011 के द्वारा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ी सेमली, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1188, दिनांक 12 जनवरी, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. बी. कनकने, उप-अंकेक्षक बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एल. बड़ोले, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कारपोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(282-B)

बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2011/268.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/916, बड़वानी दिनांक 28 जनवरी, 2009 के द्वारा निमाड़ प्राथ. उप. सहकारी भंडार मर्यादित, सेंधवा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1116, दिनांक 4 मार्च, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रदीप रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एल. बड़ोले, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कारपोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(282-C)

बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/269.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/917, बड़वानी, दिनांक 28 जनवरी, 2009 के द्वारा मौलाना आजाद प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्यादित, सेंधवा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1131/1, दिनांक 28 जून, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रदीप रावत, व.स.नि., बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, जी. एल. बड़ोले, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कारपोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(282-D)

बड़वानी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/774.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/915 बड़वानी, दिनांक 28 जनवरी, 2009 के द्वारा सेंधवा प्राथ. उप. सहकारी भंडार मर्यादित, सेंधवा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1113, दिनांक 18 फरवरी, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रदीप रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, जी. एल. बड़ोले, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कारपोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(282-E)

बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/270.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/71, बड़वानी, दिनांक 17 जनवरी, 2011 के द्वारा ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पाटी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 166, दिनांक 9 फरवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जे. एस. चौहान, स. निरीक्षक, बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एल. बड़ोले, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कारपोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(284-B)

जी. एल. बड़ोले,  
सहायक रजिस्ट्रार.

### कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मगरधा जिसका पंजीयन क्रमांक 82, दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 है, को परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्र./परि./11/1021, दिनांक 16 जून, 2011 दिया गया था। संस्था द्वारा समयावधि में उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्रों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मगरधा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आनन्द गोंधलेकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आनन्द गोंधलेकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(283)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नकवाड़ा जिसका पंजीयन क्रमांक 76, दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 है, को परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्र./परि./11/1022, दिनांक 16 जून, 2011 दिया गया था। संस्था द्वारा समयावधि में उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्रों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा।

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69

के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नकवाड़ा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आनन्द गोंधलेकर, सहकारी निरीक्षक को समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आनन्द गोंधलेकर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(283-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बेड़ागांव जिसका पंजीयन क्रमांक 154, दिनांक 28 अगस्त, 2008 है, को परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्र./परि./11/1019, दिनांक 16 जून, 2011 दिया गया था. संस्था द्वारा समयावधि में उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्रों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

एतद्वारा मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बेड़ागांव को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती कंचनबाला सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती कंचनबाला सोनी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(283-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सामरधा जिसका पंजीयन क्रमांक 2155, दिनांक 22 जनवरी, 1983 है, को परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्र./परि./11/1023, दिनांक 16 जून, 2011 दिया गया था. संस्था द्वारा समयावधि में उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्रों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

एतद्वारा मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सामरधा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती कंचनबाला सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती कंचनबाला सोनी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(283-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धनगांव जिसका पंजीयन क्रमांक 150, दिनांक 8 अगस्त, 2008 है, को परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्र./परि./11/1020,

दिनांक 16 जून, 2011 दिया गया था. संस्था द्वारा समयावधि में उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्रों के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

एतद्वारा मैं, परमानंद गोडरिया, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धनगांव को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती कंचनबाला सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती कंचनबाला सोनी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

परमानंद गोडरिया,  
सहायक आयुक्त.

(283-D)

### कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/ /सपंबा/परि./85/132, दिनांक 15 जनवरी, 1986 के द्वारा हरित क्रांति सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, हरदोली, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट जिसका पंजीयन क्रमांक 240, दिनांक 29 मई, 1973 है, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को संस्था का परिमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में हरित क्रांति सिंचाई सहकारी समिति मर्या., हरदोली, विकासखण्ड बालाघाट जिला बालाघाट पंजीयन क्रमांक 240 का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हरित क्रांति सिंचाई सहकारी समिति मर्या., हरदोली, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 240, दिनांक 29 मई, 1973 का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरित क्रांति सिंचाई सहकारी समिति मर्या., हरदोली, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 240 दिनांक 29 मई, 1973 का पंजीयन रद्द करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(284)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/ /सपंबा/परि./2003/1005, दिनांक 4 अगस्त, 2003 के द्वारा सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, बम्हनी, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट जिसका पंजीयन क्रमांक 173, दिनांक 30 मार्च, 1970 है, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को संस्था का परिमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, बम्हनी, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट जिसका पंजीयन क्रमांक 173 का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, बम्हनी, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट जिसका पंजीयन क्रमांक 173, दिनांक 30 मार्च, 1970 का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित, बम्हनी विकास खण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट जिसका पंजीयन क्रमांक 173, दिनांक 30 मार्च, 1970 का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

एम. पी. चक्रवर्ती,  
उप-रजिस्ट्रार.

(284-A)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला मुरैना

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत ]

यह कि समस्त संबंधियों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक, दिनांक
1.	दुग्ध समिति, मृगपुरा	682/24-4-1987
2.	दुग्ध समिति, जेबराखेड़ा	698/27-8-1987
3.	दुग्ध समिति, हिंगोनाखुर्द	488/15-2-1981
4.	दुग्ध समिति, रसीलपुर	917/7-11-1989
5.	दुग्ध समिति, डोंगरपुरकिरार	915/7-11-1979
6.	दुग्ध समिति, सांगोली	1249/10-6-2004
7.	दुग्ध समिति, कंचनपुर	557/13-3-1984
8.	दुग्ध समिति, देवगढ़	696/27-8-1987
9.	दुग्ध समिति, खेरियाकलां	811/7-1-1989

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है। पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है। अतः समस्त संबंधियों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन



से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है, संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा.

(285)

श्रीनिवास शर्मा,  
परिसमापक.

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

यह कि समस्त संबंधियों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक, दिनांक
1.	दुग्ध समिति, पंचमपुरा	693/27-8-1987
2.	दुग्ध समिति, ताजपुर	692/27-8-1987
3.	दुग्ध समिति, लोहरीपुरा	697/27-8-1987
4.	दुग्ध समिति, पठानपुरा	700/27-8-1987
5.	दुग्ध समिति, आरेठी	1238/10-6-2004
6.	दुग्ध समिति, कलुआपुरा	1304/2-2-2005
7.	दुग्ध समिति, मुदावली	1233/10-6-2004
8.	दुग्ध समिति, खिडोरा	1316/6-12-2005
9.	दुग्ध समिति, सकतपुर	716/9-11-1989

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है. पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अतः समस्त संबंधियों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है, संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा.

(286)

रज्जाद खान,  
परिसमापक.

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

यह कि समस्त संबंधियों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक, दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध समिति, परसोटा	841/27-10-1988
2.	दुग्ध समिति, रजोदा	800/30-11-1988
3.	दुग्ध समिति, खेरली	836/27-1-1989

1	2	3
4.	दुग्ध समिति, हुसैनपुर	767/30-6-1988
5.	दुग्ध समिति, माधौगढ़	833/27-01-1989
6.	दुग्ध समिति, भिलसैया	772/30-6-1988
7.	दुग्ध समिति, ऐंचोली	826/22-1-1989
8.	दुग्ध समिति, खेरों	770/30-6-1988
9.	दुग्ध समिति, निगावनी	710/7-11-1987
10.	दुग्ध समिति, बंधपुरा	799/30-11-1988

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है. पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अतः समस्त संबंधियों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है, संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा.

(287)

एच. एस. राणा,  
परिसमापक.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012-आषाढ़ 15, शके 1934

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. जुताई.—जिला प. निमाड़, बड़वानी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. बोनी.— ..
4. फसल स्थिति.— ..
5. कटाई.— जिला गुना, विदिशा, होशंगाबाद में फसल गेहूँ, चना व रायसेन में मसूर, चना व भोपाल में गेहूँ, चना, मसूर व कटनी में मसूर, अलसी, मटर व नीमच में गेहूँ, चना, राई-सरसों व बैतूल में गेहूँ, चना, मसूर, मटर व पन्ना में मसूर, अलसी, राई-सरसों, अरहर तथा अनूपपुर, सीहोर, मण्डला व दमोह, धार, इन्दौर, हरदा, सिवनी में रबी मौसम की फसल कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, सागर, सतना, शहडोल, सिंगरौली, झाबुआ, रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, सोयाबीन, राई-सरसों, गेहूँ समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगाढ़ .. 6. कैलारस ..	.. .. .. .. .. ..	..	..	..	..
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल .. 3. विजयपुर ..	.. .. ..	..	..	..	..
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन ..	.. .. .. .. .. .. ..	..	..	..	..
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर .. 2. डबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव ..	.. .. .. ..	..	..	..	..
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. सरसों, चना, मसूर, सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर ..	.. .. ..	..	..	..	..
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास ..	.. .. .. .. .. .. .. ..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावती	..		4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) . .		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		(2) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया समान.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, जौ, गेहूँ समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	..		4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) . .		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू, प्याज समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर कम. जौ समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>*जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, गेहूँ, मटर अधिक. अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्परजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, अलसी अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) अलसी, राई-सरसों, मसूर, मटर, चना, लाख तिवड़ा, गेहूँ, जौ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी, अधिक. तुअर, मसूर, आलू, जौ, मटर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	.. .. ..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. ज्वार, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुबासराटप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दासौर 6. सीतामऊ 7. धुन्धड़का 8. शामगढ़ 9. संजीत	.. .. .. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, राई-सरसों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	.. .. ..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रतलाम	.. .. .. .. .. ..				
<b>*जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर, आलू समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर 5. बड़ौद 6. शाजापुर 7. शुजालपुर 8. कालापीपल 9. गुलाना	.. .. .. .. .. .. .. .. ..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, आलू, प्याज अधिक. चना, जौ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव	.. .. .. .. .. ..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	.. .. .. .. ..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. भामरा	.. .. ..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी	.. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)	.. .. .. .. ..				
<b>जिला प. निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गेहूँ, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. वरला	..				
9. अंजड़	..				
<b>*जिला पूर्ण-निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		अधिक. गन्ना, चना कम. तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		समान.		
4. ब्यावरा	..		(2) ..		
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, चना की	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) गेहूँ, चना, मसूर, लाख, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर की	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) ..		
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	..				
4. जावर	..				
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. बुधनी	..				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. फसल मसूर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. जौ, चना, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, चना, मसूर, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. फसल चना एवं गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मसूर, मटर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. मसूर, अलसी, मटर व अन्य फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटगांव 5. तेन्दूखेड़ा	.. .. .. .. ..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	.. .. .. .. .. ..				
<b>*जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा	.. ..				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. मोहखेड़ा	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, लाख, राई-सरसों कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसौर 7. धनोरा 8. छपारा	.. .. .. .. .. .. .. ..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर	.. .. .. .. .. ..				

टीप.— \*जिला रीवा, रतलाम, उज्जैन, पूर्व निमाड, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(289)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.